



संख्या—cm-201
25/06/2019

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित समीक्षा बैठक

पटना 25 जून 2019 :- 1 अणे मार्ग स्थित 'नेक संवाद' में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 07 जून 2019 एवं अन्य तिथियों को हुई समीक्षात्मक बैठकों के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। पुलिस मुख्यालय, सी0आई0डी0 स्पेशल ब्रांच, मद्य निषेध विभाग ने अपने प्रस्तुतीकरण में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अपराध नियंत्रण के लिए गश्ती वाहनों में जी0पी0एस0 यंत्र लगाने की व्यवस्था, थानों में वाहन की उपलब्धता, लंबित वारंट एवं कुर्की जब्ती के शीघ्र निष्पादन एवं थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान के पृथक्करण पर चर्चा की गयी। जिन थानों के भवन नहीं हैं, उनके लिए भूमि चयन, भूमि विवाद एवं उससे संबंधित विधि व्यवस्था, थानों के लिए रिवाल्विंग फंड आदि की भी बैठक में जानकारी दी गई।

बैठक में थानावार अपराध विश्लेषण, अनुसंधान गुणवत्ता एवं संवर्द्धन प्रशिक्षण, स्पेशल ब्रांच के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन हेतु पदों के सृजन पर भी चर्चा हुयी। इसके साथ ही आर्थिक अपराध, मद्य निषेध, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए आसूचना संकलन एवं संग्रहण कर उन पर की जा रही कार्रवाइयों के बारे में भी जानकारी दी गई।

समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्ती लगातार करते रहने की जरूरत है। गश्ती वाहनों में जी0पी0एस0 तकनीक को उपयोग में लाए जाने की जरूरत है। सभी थानों की स्टेशन डायरी मेंटेन रखी जाए। थानों के स्टेशनरी खर्च के लिए जो राशि तय की गई है, उसके लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक थाने में लगाए जाने वाले कंप्यूटर, डाटा ऑपरेटर, इंटरनेट का कार्य तेजी से करें। प्रत्येक थाने में लैंड लाइन फोन की उपलब्धता हो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सिस्टम का इंप्रुवमेंट होते रहना जरूरी है। इसके लिए लगातार ग्राउंड लेबल पर काम करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि विशेष शाखा के सुदृढीकरण से पुलिस कार्यों की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मद्य निषेध को और प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू करने के लिए हम सबको सेंटिमेंटल एप्रोच के साथ काम करना होगा। शराब के अवैध व्यापार की जांच में जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, उन गाड़ियों की स्थिति क्या है वो किसकी गाड़ी है ठीक ढंग से पता करने से इस व्यवसाय के विभिन्न एंगल का समझने में सुविधा होगी। थानेदार से लेकर एस0पी0 स्तर के पदाधिकारी इसके लिए विशेष तौर पर सतर्क रहें। देशी एवं विदेशी शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए गंभीरतापूर्वक मंथन करें और उसके लिए मुश्तैद रहें। जिन पुलिस अधिकारियों की शराब के धंधेबाजों के साथ मिलीभगत हो उनके खिलाफ भी विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से समाज के वातावरण में काफी बदलाव आया है। अगर यहां के अधिकारी और यहां के लोग शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए पूरे भावनात्मक तौर पर इसके पीछे लग जायें तो यह पूरी तरह से प्रभावकारी होगा और देश में एक मिसाल बनेगा। इसके लिए सभी को प्रेरित करने की

जरूरत है। वर्ष 2016 की डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट, जो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी उसमें यह बताया गया था कि जितनी मृत्यु होती है उसमें 5.3 प्रतिशत मृत्यु शराब पीने की वजह से होती है। 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों की होने वाली मौत में से 13.5 प्रतिशत शराब के सेवन करने से होती है। यह लोगों को बताने की जरूरत है, जिससे लोग सतर्क रह सकें। शराबबंदी से लोगों का पैसा बचा है, जिसका उपयोग वे अपने अन्य उपयोगी कामों के लिए कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद राज्य में नेशनल एवं इंटरनेशनल पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है।

बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद सह निबंधन मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडेय, पुलिस महानिदेशक सह भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, पुलिस महानिदेशक (सी0आई0डी0) श्री विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक (हेडक्वार्टर) श्री ए0के0 सिंघल, ए0डी0जी0 मॉडर्नाईजेशन श्री भृगु श्रीनिवासन, ए0डी0जी0 स्पेशल ब्रांच श्री जे0एस0 गंगवार, ए0डी0जी0 मुख्यालय श्री जितेंद्र कुमार, ए0डी0जी0 लॉ एंड ऑर्डर श्री अमित कुमार, आई0जी0 मुख्यालय श्री नैय्यर हसनैन खां, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव श्री चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित राज्य पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
